राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

एकलव्य भवन

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

फोन : 0141–5150936 फैक्स : 0141 – 2705067

Website: http://www.rsos.rajasthan.gov.in e-mail: rajasthansos@gmail.com

क्रमांकः प 10 (33) परीक्षा/2014–15 –7805–8059 दिनांक :–20.10.15

केन्द्राधीक्षक एवं संस्था प्रधान

रा.उ.मा.वि./रा.मा.वि./रा.बालिका.उ.मा.वि./रा.बालिका.मा वि.

....

....(राज0)

विषयः– नव0–दिस0, 2015 की परीक्षा आयोजन के क्रम में महत्वपूर्ण निर्देश।

परीक्षा आयोजन हेतु अति महत्वपूर्ण निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देवें:–

1. आरएसओएस की सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी की सैद्धान्तिक परीक्षाएं **18 नवम्बर, 2015** से प्रारम्भ हो रही हैं।

2. प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन कार्यक्रमानुसार निर्धारित तिथियों में करवाया जावें। प्रायोगिक परीक्षा हेतु परिक्षार्थियों को सूचना देना सुनिश्चित कर लेवें। कोई भी परीक्षार्थी सूचना से वंचित न हों।

3. परीक्षाओं से पूर्व केन्द्राधीक्षक निर्देश पुस्तिका जो कि पूर्व की परीक्षा में आपको उपलब्ध करवाई गई थी, का भली भांति अध्ययन कर लेवें।

4. प्रश्न पत्रों का मिलान केन्द्र पर आवंटित परीक्षार्थी संख्या से अवश्य कर लेवें। यदि प्रश्न पत्रों की, परीक्षार्थी संख्या एवं विषयानुरूप उपलब्धता नहीं हो तो आरएसओएस के दूरभाष न0 0141–5150936, 5150931 व फैक्स न0 0141–2507067 पर सम्पर्क कर प्रश्न–पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

5. उत्तरपुस्तिकाओं की उपलब्धता सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी की अलग–अलग आवंटित परीक्षार्थी संख्या के अनुसार सुनिश्चित कर लेवें।

6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) से सम्पर्क कर पर्यवेक्षक की नियुक्ति अवश्य करावें।

7. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के भाषा विषयों के अतिरिक्त सभी प्रश्न–पत्र हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित हैं।

8. इस वर्ष प्रश्न–पत्र एक ही सेट में होंगें अर्थात A, B, C के क्रम में नहीं होगें। अतः बैठक व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के अनुरूप होगी।

9. परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक व फर्नीचर कम होने पर निकट के विद्यालय से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0) के माध्यम से व्यवस्था करावें।

10. नियत प्रक्रिया अनुसार माह नव0–दिस0, 2015 की परीक्षा में जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों के प्रश्न–पत्रों के बन्द बक्स पोस्ट ऑफिस के माध्यम से Insured Parcel से सीधे ही आपके पास पहुंचेगें उन्हें आप द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन/चौकी तक बोर्ड प्रश्न–पत्रों की भांति पुलिस स्टेशन/चौकी पर सुरक्षित रखेगें यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अतः प्रश्न–पत्रों के लिए आलमारी प्रश्न–पत्र प्राप्त होने की तिथि से पूर्व आप द्वारा बताये गये पुलिस स्टेशन/चौकी पर रखवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रश्न–पत्र दिनांक 28–29 अक्टूबर, 2015 को जयपुर से रवाना किये जावेंगें। दिनांक 02 नवम्बर, 2015 से विद्यालयों में शैक्षिक कर्मचारियों का अवकाश होने के कारण आप उक्त अनुसार व्यवस्था हेतु सुनिश्चित करें तथा थाने में प्रश्न–पत्रों को विषयवार, कक्षावार व दिनांक वार जांच कर जमा कर सील चस्पा कर पूर्ण सुरक्षा एवं संरक्षा के साथ रखें।

11. Insured Parcel से प्राप्त प्रश्न–पत्रों की प्राप्ति की सूचना तत्काल ईमेल के माध्यम से इस कार्यालय को ओपन स्कूल की ईमेल rajasthansos@gmail.com पर सूचित करें।

12. प्रश्न–पत्र वांछित संख्या से अधिक भेजे जाते हैं परन्तु यदि अपरिहार्य स्थिति में कोई प्रश्न–पत्र कम निकलें और कुछ परीक्षार्थियों को प्रश्न–पत्र नहीं दिये जा सकें तो उन्हें अलग कमरे में बिठा कर प्रश्न–पत्र को लिखवा दें और जितना समय उनको लिखने में लगे उतना ही समय अतिरिक्त दे दिया जाये। इसकी सूचना सचिव आरएसओएस को दी जावे। अतिरिक्त समय उन परीक्षार्थियों को नहीं दिया जावे जिन्हें मुद्रित प्रश्न–पत्र दिये गये हैं तथा परीक्षा समाप्ति तक प्रश्न–पत्र बाहर नहीं ले जाने दे। सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–पत्र सम्पूर्ण केन्द्र की परीक्षा समाप्ति पर दिये जावें।

13. . बैक से प्रश्न–पत्र लाने का जिस दर से भुगतान किया जाता था उसी दर से थाने से प्रश्न–पत्र लाने का भुगतान किया जावेगा।

14. परीक्षा समाप्ति के पश्चात उत्तरपुस्तिकाएं जहां तक संभव हो उसी दिन रजिस्टर्ड पार्सल से सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, एकलव्य भवन, डॉ0 एस0 राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर,, पिनकोड–302015 पते पर भेजें। यदि उसी दिन भेजना संभव नही हो तो उत्तरपुस्तिकाओं के बण्ड़ल को रात को आलमारी में केन्द्राधीक्षक, पर्यवेक्षक व परीक्षा प्रभारी संयुक्त हस्ताक्षरों से युक्त सील चस्पा कर ताले में चौकीदार की सुरक्षा में रखें तथा दूसरे दिन उन्हें अवश्य भिजवा देवें।

15. प्रायोगिक परीक्षा के लिए यदि विद्यालय में उस विषय का परीक्षक नहीं हैं तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के माध्यम से परीक्षक नियुक्त करावें।

I. प्रायोगिक परीक्षा में Additional Roll No. की संख्या कम होने पर भी अंकतालिका कागज (A-4 Size) पर बनाकर भेजें।

II. जिन परीक्षार्थियों के Roll No. Award List में हैं यदि वे पूर्व में उत्तीर्ण है तो Award List में Roll No. के सामने पूर्व में उत्तीर्ण अथवा अन्य जो भी कारण हों लिखें। अवार्ड लिस्ट खाली न भेजें। उस पर संदर्भ केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर मय सील हों।

III. आरएसओएस कार्यालय द्वारा परीक्षार्थी के विषय में संशोधन के लिए जो निर्देश परीक्षा केन्द्र को दिये जाते है उन्हें वह नोमिनल रोल में भी अंकित/संशोधित कर कार्यालय में भिजवायें।

IV. सभी विषयों के प्रेक्टीकल की अवार्ड लिस्ट एक साथ एक लिफाफे में रखकर भेजें। उन्हें प्रेक्टीकल कॉपी के पैकेट में किसी भी स्थिति में नहीं भेजें तथा अर्वाड लिस्ट कॉपियों के बीच में रखकर भी न भेजें।

V. प्रेक्टीकल की कॉपी मय अवार्ड लिस्ट परीक्षा समाप्ति के 07 दिवस में इस कार्यालय में अवश्य भिजवायें।

VI. सैद्धान्तिक परीक्षा की कॉपीयों के बण्डल पर सही केन्द्र क्रमांक एवं विषय अवश्य लिखे।

16. परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी एवं परीक्षा संबंधित प्रपत्र राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर की वेबसाईट पर देखें।

आपके केन्द्र से संबंधित परीक्षा सामग्री शीघ्र ही भिजवाई जा रही है।

दयाराम महरिया
सचिव
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर

क्रमांकः प 10 (33) परीक्षा/2014–15 – 7805-8059 दिनांक :- 20/01/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
(1) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
(2) कार्यालय प्रति

सचिव
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर